

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
न्यू.आई.टी. बिल्डिंग, योजना भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर,
#राजस्थान_सतर्क_है

अति-आवश्यक
दिनांक 01.05.2020

क्रमांक: एफ8(349)सूप्रौ/सामान्य/19/ML-399

आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक एमएल-398 दिनांक 01.05.2020 की अनुपालना में Migration Process से संबंधित कार्यों हेतु अधिकारी के नाम के सम्मुख निम्नानुसार कर्मचारियों की Shiftwise ड्यूटी अग्रिम आदेशों तक लगाई जाती है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कर्मचारी का नाम	दिनांक एवं पारी
1	श्री तपन कुमार, संयुक्त निदेशक (9413387307)	श्री अंकित कुमार पारीक, सूचना सहायक (8058122989)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (प्रथम पारी)
		श्री विकास भटनागर, सूचना सहायक (9829765534)	
		श्री तनीष यादव, सूचना सहायक (8233397414)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (द्वितीय पारी)
2	श्री सुदर्शन सिंह देवड़ा, उपनिदेशक (9950733119)	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सज्जन कुमार, सूचना सहायक (9024607123)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (प्रथम पारी)
		श्री गणेश शर्मा सूचना सहायक (7615004613)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (द्वितीय पारी)
		श्री हेमन्त कुमार पुत्र श्री गौरी लाल सौकरियां, सूचना सहायक (9887531075)	
3	श्री मुकेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक (9414995870)	श्री मंयक तिवाड़ी, सूचना सहायक (9414604499)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (प्रथम पारी)
		श्री तुषार गेल्लोत्रा, सूचना सहायक (9462401225)	
		श्री विष्णु कुमार शर्मा, सूचना सहायक (8949451340)	02.05.2020 से 15.05.2020 तक (द्वितीय पारी)
		श्री अनिल प्रजापत, सूचना सहायक (9636406045)	
श्री दीपक कुमार, सूचना सहायक (9887748653)			


उक्त कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपनी-अपनी शिफ्ट में निर्धारित समय पर मुख्यालय में संबंधित अधिकारी को अपनी उपस्थिति देना एवं निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करेंगे।

लगाई गई ड्यूटी 2 (दो) निर्धारित पारियों में रहेंगी।

प्रथम पारी : प्रातः 06:00 बजे से मध्याह्न 02:00 बजे तक

द्वितीय पारी : मध्याह्न 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक

उक्त ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारियों को मोडिफाईड लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचाव हेतु **Wearing of Mask & Social Distancing** की सख्ती से पालना एवं चिकित्सीय मापदंडों की पालना करना सुनिश्चित करेंगे।


(बी.एस. नाथवात)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारियों को सूचनार्थ।
3. संबंधित कर्मचारियोंको पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।


तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव